न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 53/2020/आवेदन 136 एलआरएक्ट

1. संवरमल पुत्र मोहन जाति बलाई निवासी रूपगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर। —प्रार्थी

ब ना म

1. राज्य सरकार जरिये : तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर। — अप्रार्थी

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

उपस्थिति—

1. श्री बन्शीधर बाज्या वकील वादी की ओर सें।

नि र्ण य **दिनांक — 24.12.2020**

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 480 लगायत 490, 493 किता 12 कुल रकबा 11.85 है0 वाके ग्राम रूपगढ पटवार हल्का रूपगढ तह0 दांतारामगढ जिला सीकर अवस्थित है। जिसका वादी रिकार्डेड खातेदार है तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज 1/16 हिस्सा अनुसार मौके पर काबिज काश्तकार है। प्रार्थी के नाम से ग्राम रूपगढ की तन में अवस्थित भूमियों में उसका नाम नवरंग पुत्र मोहन दर्ज है। जबकि प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम सांवरमल पुत्र मोहनलाल है एवं प्रार्थी का यही नाम अन्य दस्तावेजात यथा परिवार राशन कार्ड आधार कार्ड पैन कार्ड शैक्षणिक दस्तावेजात विघालय रिकार्ड बैंक खाता मतदाता महचान पत्र एवं अन्य समस्त रिकार्ड में सांवरमल पुत्र मोहनलाल ही दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत रूप से नवरंग पुत्र मोहन दर्ज है एवं दुरूस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी कई बार बार अप्रार्थी एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों से निवेदन कर चुका है परन्तु आज तक कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई है सम्बंधित समस्त दस्तावेज संलग्न प्रार्थना पत्र है एवं मुताबिक अन्य रिकार्ड प्रार्थी के नाम को दुरूस्त कर सही रूप से सांवर मल पुत्र मोहन लाल दर्ज किया जाना न्याय संगत है। वाद कारण अरसा करीब 10—12 रोज पूर्व अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा आवेदक का नाम दुरूस्त करने से इन्कार होने पर उत्पन्न हुआ जो कि क्षण प्रतिक्षण निरन्तर रूप से चालू है। अतः आवेदन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि खसरा नम्बर 480 लगायत 490, 493 किता 12 कुल रकबा 11.85 है0 वाके ग्राम रूपगढ पटवार हल्का रूपगढ तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम नवरंग पुत्र मोहन के स्थान पर प्रार्थी का सही व वास्तिविक नाम

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

कार्यालय तहसीलदार ... ...

सांवरमल पुत्र मोहनलाल दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि प्रार्थी का का राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नाम नवंरग पुत्र मोहन के स्थान पर प्रार्थी का सही व वास्तिविक नाम सांवरमल पुत्र मोहनलाल दर्ज किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीं में संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा आवेदन में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि मोहनलाल कि विरासत होने से नवरंग पुत्र मोहनलाल जमाबन्दी में दर्ज हुआ तो अब तक नवरंग पुत्र मोहन जाति बलाई चला आ रहा है। आवेदक के आधार कार्ड मतदाता पहचान पत्र जन आधार कार्ड राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम सांवरमल पुत्र मोहनलाल जाति बलाई निवासी रूपगढ दर्ज है। मौतविरान से पुछताछ करने पर बताया गया कि नवरंग पुत्र मोहन व सांवरमल पुत्र मोहन जाति बलाई दोनो एक ही व्यक्ति है। बचपन में नवरंग नाम से जानते थे बाद में सांवरमल नाम रख दिया गया । आवेदक का नाम सांवरमल किया जाना उचित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है। **प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा** 480 लगायत 490, 493 किता 12 कुल रकबा 11.85 है0 वाके ग्राम रूपगढ पटवार हल्का रूपगढ तह0 दांतारामगढ जिला सीकर **में दर्ज प्रार्थी का नाम नवंरग पुत्र मोहन के स्थान पर प्रार्थी का सही व वास्तिविक नाम नवंरग उर्फ सावरमल पुत्र मोहनलाल दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ